न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 124/22 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2022/485

1. श्री भेरूसिंह पिता चमनसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोडसिंह पिता हेमसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।मृतक
2. श्री गोविन्दसिंह पिता हेमसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
3. श्री सोहनसिंह पिता हेमसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
4. श्रीमती शंकरकुंवर पत्नी प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
5. श्री डुलेसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
6. श्री गुमानसिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
7. श्री निर्भयसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
8. श्री हिम्मतसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
9. श्री गुलाबसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
10. श्री भगवतसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
11. श्री भोपालसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
12. श्रीमती लच्छुकुंवर पत्नी जवानसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
13. श्री लालसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
14. श्री तख्तसिंह पिता चमनसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
15. श्रीमती धापुकुंवर पत्नी डुलेसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
16. श्री मानसिंह पिता चमनसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
17. श्री रायसिंह पिता चमनसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
18. श्रीमती लहरकंवर पत्नी मानसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।
19. तहसीलदार मावली तहसील मावली।
20. श्री शम्भुसिंह पिता मोड़सिंह जाति राजपुत निवासी बामणिया खेत डबोक तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र वीरवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 5, 20

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 21.02.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बामणियाखेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की आराजी नम्बर 237/3982 रकबा 0.1295 हेक्टेयर, 241 रकबा 0.1295 हेक्टेयर, 215 रकबा 0.1538 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं। आराजी नम्बर 190 रकबा 0.1295 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 9 से 13 के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/2 हिस्सा हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी के खातेदारी जमीन में वर्णित आराजीयात 237/3982 रकबा 0.1295 हेक्टेयर (16 बिस्वा) के उत्तर में विपक्षी संख्या 6 से 8 की आराजी संख्या 236 रकबा 0.4209 हेक्टेयर (2 बीघा 12 बिस्वा) व पूर्व दिशा में विपक्षी संख्या 16 की आराजी संख्या 237 रकबा 0.1376 हेक्टेयर (17 बिस्वा), पश्चिम में विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी संख्या 137 रकबा 0.4694 हेक्टेयर (2 बीघा 18 बिस्वा) तथा दक्षिण में विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी संख्या 238 रकबा 0.3157 हेक्टेयर (1 बीघा 19 बिस्वा) के नाम पर दर्ज हैं। मुझ प्रार्थी के खातेदारी जमीन में वर्णित आराजीयात 241 रकबा 0.1295 हेक्टेयर (16 बिस्वा) के उत्तर में विपक्षी संख्या 6 से 8 की आराजी संख्या 234 रकबा 0.0486 हेक्टेयर (6 बिस्वा) एवं आराजी संख्या 235 रकबा 0.2023 हेक्टेयर (1 बीघा 5 बिस्वा) व पूर्व दिशा में विपक्षी संख्या 9 से 13 की आराजी संख्या 224 रकबा 0.0809 हेक्टेयर (10 बिस्वा), पश्चिम में विपक्षी संख्या 16 की आराजी संख्या 240 रकबा 0.1214 हेक्टेयर (15 बिस्वा) एवं स्वयं की ओर विपक्षी संख्या 14 से 17 की आराजी संख्या 1 से 3, 5, 9 से 11, 13 से 17 की आराजी संख्या 242 रकबा 0.0567 हेक्टेयर (7 बिस्वा) सामलाती कुंआ स्थित होकर ताईद में नकल जमाबन्दी संलग्न हैं।
3. यह कि मुझ प्रार्थी के खातेदारी जमीन में वर्णित आराजीयात 215 रकबा 0.1538 हेक्टेयर (19 बिस्वा) के उत्तर में प्रार्थी की स्वयं की आराजी संख्या 189 रकबा 0.0567 हेक्टेयर (7 बिस्वा), पूर्व दिशा में विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी संख्या 214 रकबा 0.3399 हेक्टेयर (2 बीघा 2 बिस्वा), पश्चिम में विपक्षी संख्या 16 की आराजी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:46 IST
Reason: SelfAttested

3977 / 215 रकबा 0.1457 हेक्टेयर (18 बिस्वा) तथा दक्षिण में विपक्षी संख्या 18 की आराजी संख्या 213 रकबा 0.0405 हेक्टेयर (5 बिस्वा) सामलाती कुंआ एवं विपक्षी संख्या 18 की आराजी संख्या 210 रकबा 0.3885 (2 बीघा 8 बिस्वा) स्थित होकर ताईद में नकल जमाबन्दी संलग्न हैं। मुझ प्रार्थी के खातेदारी जमीन में वर्णित आराजीयात 190 रकबा 0.1295 हेक्टेयर (16 बिस्वा) के उत्तर में आम रास्ता सडक स्थित है। पूर्व दिशा में विपक्षी संख्या 9 से 13 की आराजी संख्या 190 रकबा 0.1295 हेक्टेयर (16 बिस्वा), पश्चिम में प्रार्थी स्वयं की आराजी संख्या 189 रकबा 0.0567 (7 बिस्वा), प्रार्थी स्वयं की एवं विपक्षी संख्या 14 से 17 की आराजी संख्या 3976 / 189 रकबा 0.0081 (1 बिस्वा), आराजी संख्या 185 रकबा 0.0081 (1 बिस्वा) तथा दक्षिण में प्रार्थी स्वयं की तथा विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी संख्या 214 रकबा 0.3399 हेक्टेयर (2 बीघा 2 बिस्वा) स्थित होकर ताईद में नकल जमाबन्दी संलग्न हैं।

4. यह कि प्रार्थी की जमीन के उत्तर, दक्षिण पूर्व, पश्चिम दिशा की तरफ विपक्षीगणो की जमीन प्रार्थी की आराजीयात के पास स्थित होने से विपक्षीगणों एवं प्रार्थी के मध्य सीमा को लेकर विवाद होते रहते है तथा विपक्षीगण ताकत के बल पर प्रार्थी की आराजीयात में नाजायज हक अधिकार जमाना चाहते हैं। जिसका विपक्षीगणों को कोई अधिकार नहीं हैं। विपक्षीगणों की नाजायज हरकतो से प्रार्थी परेशान रहता है। चूंकि प्रार्थी शांतिप्रिय व्यक्ति होकर बुर्जग हैं। विपक्षीगण रोज–रोज सरहद को लेकर प्रार्थी से झडा करते रहते है इसलिए प्रार्थी एवं विपक्षीगणों के खेतो के मध्य पत्थरगढी करना आवश्यक है ताकि हमारे मध्य रोज–रोज होने वाले विवादों को रोका जा सके। प्रार्थी की आराजीयात के उत्तर, पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा में विपक्षीगणों की आराजीयात स्थित सरहद् पर पत्थरगढी कराना न्यायहित में आवश्यक है। जमीन को लेकर रोज–रोज होने वाले विवाद से बचा जा सके। प्रार्थी अपने हिस्से का स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं।

5. यह कि प्रार्थी ने विपक्षीगणो को दिनांक 05.11.2022 को पत्थरगढी कराने के लिए कहा तो विपक्षीगणों ने इंकार कर दिया, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा होने से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी 237 / 3982, 241, 215, 190 के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा में विपक्षीगणों की आराजीयात स्थित है जिसके मध्यम स्थित सरहद पर पत्थरगढी करवा कर प्रार्थी एवं विपक्षीगणों की जमीन को हिस्सेनुसार नपवाया जाकर भूमि की सरहद में पत्थ[illegible] आदेश प्रदान कराये जावे एवं विपक्षीगणो को इस बात के लिए [illegible]द किया [illegible] कि वो मुझ प्रार्थी के हिस्से में आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:46 IST
Reason: SelfAttested

वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नहीं करे तथा प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवे।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 फौत होने से इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 6 से 18 बावजूद सूचना अनुपस्थि रहे। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3, 4, 5 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी स्वामित्व की भूमि बाबत् पत्थरगड़ी का आदेश चाहा गया है किन्तु जिस भूमि की पत्थरगड़ी प्रार्थी पक्ष करवाना चाह रहा है उस भूमि से होकर हम विपक्षीगण अपने स्वामित्व के खेत में सदीप से आते जाते रहे है। प्रार्थी पक्ष पत्थरगड़ी के आदेश की आड़ में हमारे खेतो पर जाने के रास्ते को बंद करना चाह रहे है जिस हेतु न्यायालय हाजा से निवेदन करने पर मौका रिपोर्ट तलब की गई थी किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा के समक्ष नही आ पाई अन्यथा सम्पूर्ण वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आ जाती। यदि न्यायालय हस्तगत प्रकरण में उल्लेखित आराजीयात की पत्थरगड़ी का आदेश जारी करती है तो निवेदन है कि हम विपक्षीगण के स्वामित्व की आराजीयात जो मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक में स्थित आराजी नम्बर 17, 18, 19, 20, 162, 136, 140, 139, 137, 186, 188, 238, 244, 242, 243, 221, 214, 222 की भी सभी दिशाओ की पत्थरगड़ी का आदेश जारी फरमावें ताकि पक्षकारों के मध्य सही एवं वास्तविक रूप से न्याय हो सकेगा और पक्षकारों के मध्य मुकदमेबाजी नही बढेगी। अंत में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा हम विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व की उक्त भूमि की चारों दिशाओ की पत्थरगड़ी का आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 140 पर दर्ज आराजी नम्बर 241, 215, 3982/237 किता 3 रकबा 0.4128 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 219 पर दर्ज आराजी नम्बर 190 रकबा 0.1295 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 180 पर दर्ज आराजी नम्बर 137, 139, 140, 162, 17, 18, 186, 188, 19, 214 238, 244 किता 12 कुल रकबा 2.7439 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 2 से 5 एवं अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज है। खाता संख्या 141 पर दर्ज आराजी नं. 20 रकबा 0.0971 हैक्टयर भूमि विपक्षी संख्या 2 से 5 एवं अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज है। खाता संख्या 142 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.05.26 11:58:46 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज आराजी नम्बर 222, 242 किता 2 रकबा 0.0729 विपक्षी संख्या 2 से 5 एवं अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि एवं विपक्षीगण के नाम दर्ज भूमि एक दूसरे के पड़ौस में स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण अपनी अपनी भूमि का सिमांकन कर पत्थरगड़ी करवाना चाहते है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के विपक्षीगण सहखातेदार है। प्रकरण में किसी प्रकार की घोषणा की दाद नही है। केवल मात्र भूमि का सिमांकन किया जाना है। यदि वादग्रस्त भूमि का सिमाकंन हो जाता है तो पक्षकारो के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 का प्रार्थना 151 सीपीसी स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

9. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 का प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 2000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 140 पर दर्ज आराजी नम्बर 241, 215, 3982/237 किता 3 रकबा 0.4128 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 219 पर दर्ज आराजी नम्बर 190 रकबा 0.1295 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 180 पर दर्ज आराजी नम्बर 137, 139, 140, 162, 17, 18, 186, 188, 19, 214 238, 244 किता 12 कुल रकबा 2.7439 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 141 पर दर्ज आराजी नम्बर 20 रकबा 0.0971 हैक्टयर भूमि, खाता संख्या 142 पर दर्ज आराजी नम्बर 222, 242 किता 2 रकबा 0.0729 भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन/पत्थरगड़ी प्रार्थी, विपक्षीगण, सहखातेदार एवं पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी 1000/— रूपये एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 1000/— रूपये मौके पर अदा करें।
10. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
11. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:46 IST
Reason: SelfAttested